न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2023-006(GCMS2023-13)

1. चैनाराम पुत्र गोकुलराम जाट
2. मोडाराम पुत्र अचलाराम जाट
3. सुमेररामपुत्र हरिराम जाट
   निवासीगण ग्राम पाल
   तहसील व जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. ललित जैन पुत्र पारसमल जैन
2. कल्पना जैन पत्नी ललित जैन
3. सिद्धार्थ जैन पुत्र हरचंद जैन
4. सरोज जैन पुत्र रमेश जैन
   निवासीगण 11, हैवी इण्डस्ट्रियल ऐरिया
   जोधपुर
5. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्रीन्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 27 सितम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 63/2018 अनवान चैनाराम व अन्य बनाम ललित जैन इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित-
श्रीअशोक चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री अनिल राठी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री कमलेश राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या6

नि र्ण य

दिनांक : 04 दिसंबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2018 चैनाराम व अन्य बनाम ललित जैन आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 सितम्बर 2022 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 जनवरी 2023 को पेश की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है किविचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम तनावडा स्थित आराजी खसरा संख्या 123/1 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 123 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 128 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 129 रकबा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 130 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 132 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा के संबंध में स्थायी निषेघाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 सितम्बर 2022 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा आलोच्य अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किग्राम तनावडा स्थित आराजी खसरा संख्या 123/1 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा अपीलाण्ट संख्या एक की खातेदारी भूमि है, खसरा संख्या 123 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 128 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 129 रकबा 03 बिस्वा अपीलाण्ट संख्या दो की खातेदारी भूमि तथा खसरा संख्या 130 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 132 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा अपीलाण्ट संख्या तीन की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी भूमि है। उक्त आराजियात के पडौस में रेस्पो. संख्या दो से चार की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 134/4, 134/3 एवं 135 और रेस्पो. संख्या 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजकीय भूमि खसरा संख्या 136 स्थित है। रेस्पो. संख्या एक द्वारा खसरा संख्या 134/1, 134 एवं 135/2 की 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि बनाकर मैसर्स स्टेनलेस इण्डिया लि., तनावडा से बेनामी खरीद कर उसे औद्योगिक योजना उद्योग नगर नाम से भूखण्डों के रूप में बेचान कर दिया। इन भूखण्डों के पास राजस्व नक्शें में जो रेस्पो. संख्या 2 से 4 की खसरा संख्या 134/2, 134/2 व 135 की भूमियॉ दर्शायी गयी है, वास्तव में मौके पर नक्शें अनुसार है ही नहीं। इन भूमियों पर रेस्पो. संख्या एक द्वारा उद्योग नगर का फैसिलिटी एरिया एवं ओपन एरिया दर्शाया गया और बाद में इसे रेस्पो. संख्या 2 से 4 के पक्ष में बेचान कर दिया गया। खसरा संख्या 134/1 की सडक तथा खसरा संख्या 134/2 के पडौस में राजकीय भूमि खसरा संख्या 136 स्थित है, जिस पर रेस्पो. द्वारा करीब चार-पांच बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया और मौके पर सडक एवं हत्थों का निर्माण कर लिया गया है और अब अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने की नीयत से मौक पर निर्माण सामग्री डलवा दी है। साथ ही अपीलाण्ट्स की भूमि को खसरा संख्या 134/2 की भूमि दर्शा कर बेचान कर देने की धमकी भी दी। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट्स द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि बावत विचारण न्यायालय में स्थायी निषेघाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज करने में गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की गयी है। विचारण न्यायालय में वादीगण-अपीलाण्ट्स की साक्ष्य का अवसर जल्दबाजी में बन्द कर दिया गया, जबकि मामले में वादीगण-अपीलाण्ट्स की साक्ष्य हेतु निर्धारित तारीख पेशीयों के समय खरीफ की फसल का समय होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण वादीगण-अपीलाण्ट्स अपने साक्षियों को लेकर विचारण न्यायालय में उपस्थित नही हो पाये। राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हें अपनी खातेदारी भूमियों बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई विचार किये बिना ही मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपने खेती के कार्यो में व्यस्तता के कारण विचारण न्यायालय में नियुक्त अपने अधिवक्ता से प्रत्येक पेशी पर सम्पर्क नहीं कर पाये जिससे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं हो पायी। बाद में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी होने पर आलौच्य अपील जानकारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्सने अपनी बहस में निवेदन किया किअपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब का कोई संतोषप्रद व विश्वसनीय कारण तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत जानकारी होने का कोई निश्चित समय बिन्दु भी मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया हैं अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि आलौच्य मामले में तीनों अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमियॉ अलग-अलग है, इसी प्रकार रेस्पो. भी अलग-अलग भूमियों के अलग-अलग खातेदार है। ऐसी स्थिति में सभी आराजियात के अलग-अलग खातेदारान द्वारा एक ही वाद प्रस्तुत किया जाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से दावा संधारण योग्य नहीं रहता है और इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने बताया कि आलौच्य मामले में कोई बेनामी संव्यवहार नहीं हुआ है। वास्तव में ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 134/1, 134,135१, 135/1 व 133 की कुल 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि अलग-अलग खातेदारान से जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख मैसर्स मुरलेश स्टील्स प्राइवेट लि. द्वारा कय की गयी थी, जिनके चारो ओर सन् 1996 में ही चारदीवारी बना गयी थी। उक्त खरीदसुदा भूमि में से 24 बीघा 14 बिस्वा भूमि लीज प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर दी गयी। कालान्तर में उक्त भूमिया मैसर्स स्टेनलेस इण्डिया लि. में समाहित हो गयी, जिनमें से मैसर्स स्टेनलेस इण्डिया लि द्वारा रेस्पो. संख्या 2 से 4 के पक्ष में बेचान किया गया है। जो उक्त निर्मित चारदीवारी के भीतर ही स्थित है। अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत कोई पैमाईश नहीं करवायी गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत वाद का पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 एवं राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2022 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण यथा- अपीलांट्स की ओर से श्री प्रेम कुमार देवड़ा एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से श्री गजेन्द्र मेहता एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर दिनांक 27.09.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि वक्त निर्णय अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में विलंब हेतु बताये गये कारण सद्भाविक नहीं पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

न्याय हित में प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक मौका फर्द दिनांक 22.04.2021{विचारण न्यायालय की पत्रावली के पेज नं. 117} के अनुसार ग्राम तनावडा स्थित आराजी खसरा संख्या 123/1 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 123 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 128 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 129 रकबा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 130 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 132 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा पर अपीलांट्स द्वारा मौके पर कृषि कार्य किया जाना बताया गया है। खसरा नं. 135/1, 134 एवं 134/1 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन उधोग संपरिवर्तित होकर वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में उधोग नगर के नाम से दर्ज है। खसरा नं. 133, 134/3, 134/2, 135 कुल रकबा 30.64 बीघा में सें 11.05.12 बीघा भूमि राज्य सरकार को रास्ते के प्रयोजनार्थ समर्पित की गई है तथा शेष भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के नाम दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा वाद पत्रावली एवं अपील स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किया है, जिससे साबित हो कि रेस्पोडेंट्स द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में दखलंदाजी की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द में भी पक्षकारान् के मध्य किसी प्रकार के सीमा विवाद अथवा दखलंदाजी का उल्लेख नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुतिच अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचाण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय मे उचित नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2018 चैनाराम व अन्य बनाम ललित जैन आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 सितम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(223RTA2023-006(GCMS2023-13)

अपीलाण्ट		**रेस्पो.**
1. चैनाराम पुत्र गोकुलराम जाट 2. मोडाराम पुत्र अचलाराम जाट 3. सुमेररामपुत्र हरिराम जाट निवासीगण ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर	ब ना म	1. ललित जैन पुत्र पारसमल जैन 2. कल्पना जैन पत्नी ललित जैन 3. सिद्धार्थ जैन पुत्र हरचंद जैन 4. सरोज जैन पुत्र रमेश जैन निवासीगण 11, हैवी इण्डस्ट्रियल ऐरिया जोधपुर 5. जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी दिनांक 27 सितम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 63/2018 अनवान चैनाराम व अन्य बनाम ललित जैन इत्यादि

दावाबाबत

यह अपील बतारीख 04 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता श्री अनिल राठी, श्री कमलेश राठौड एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2018 चैनाराम व अन्य बनाम ललित जैन आदि में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 सितम्बर 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 04 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

{ओमप्रकाश विश्नोइ}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर